न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No. 2020/00176 (Bank Case)
Manual no- 61/2020

पंजाब नेशनल बैंक एक नियमित निकाय है, जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नं.–04 सेक्टर 10 द्वारका, न्यू दिल्ली–110075 में स्थित व कार्यरत है और जिसकी एक शाखा कार्यालय– इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, एरोड्रम सर्किल, कोटा में स्थित व कार्यरत है ।

– प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स मथुराधीश ट्रेडिंग कम्पनी **(ऋणी)**
   जरिये प्रोपराइटर श्री बसन्त कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण दास
   पता– ई–29, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मन्टी मेटल के सामने, कोटा, जिला कोटा राज.
2. मैसर्स मुकेश जनरल इण्डस्ट्रीयज **(जमानती व बंधनकर्ता)**
   जरिये प्रोपराइटर श्री गोविन्द राम पुत्र श्री लक्ष्मण दास
   पता– केयर ऑफ मैसर्स वहिरोमल वासदेव, दुकान नं. 60, पुरानी धान मण्डी, रामपुरा बाजार, कोटा, जिला–कोटा (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 14 .10.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है पंजाब नेशनल बैंक एक नियमित निकाय है, जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नं.–04 सेक्टर 10 द्वारका, न्यू दिल्ली–110075 में स्थित व कार्यरत है और जिसकी एक शाखा कार्यालय– इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, एरोड्रम सर्किल, कोटा में स्थित व कार्यरत है, से अप्रार्थीगण ने ऋण खाता संख्या 0726008700005731 में दिनांक 20.04. 2015 को 60,00,000/– (अक्षरेः रूपये साठ लाख, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी संख्या 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति मैसर्स मुकेश जनरल इण्डस्ट्रीज जरिये प्रोपराइटर गोविन्द राम पुत्र श्री लक्ष्मण दास की सम्पत्ति जो कि ई–29, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मल्टी मेटल के सामने कोटा राजस्थान पर स्थित है । जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जिसकी माप लगभग 1211 वर्गमीटर है । जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में– प्लॉट नं0 ई–29, दक्षिण में– प्लॉट नं0 ई–30, पूर्व में– नाला, पश्चिम में–रोड स्थित है,** को प्रार्थी ने बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 30.09. 2017 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 11,13,637/– रूपये (अक्षरेः– ग्यारह लाख तेरह हजार, छः सौ सैतींस रूपये मात्र ।) दिनांक 30.09.2017 तक व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 06.10.2017 को नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का

कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 06.10.2017 को नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 06.10.2017 को नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **बंधक अचल सम्पत्ति मैसर्स मुकेश जनरल इण्डस्ट्रीज जरिये प्रोपराइटर गोविन्द राम पुत्र श्री लक्ष्मण दास की सम्पत्ति जो कि ई–29, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मल्टी मेटल के सामने कोटा राजस्थान पर स्थित है । जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जिसकी माप लगभग 1211 वर्गमीटर है । जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में– प्लॉट नं0 ई–29, दक्षिण में– प्लॉट नं0 ई–30, पूर्व में– नाला, पश्चिम में–रोड़ स्थित है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14.10.2020 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा